भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 489

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 18 नवंबर, 2016/27 कार्तिक, 1938 (शक) को दिया गया)

कार्टलाइजेशन रोधी अभियान

489. श्री ए. अरुणमणिदेवनः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सार्वजनिक वस्तुओं की लागत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा शुरू किए गए कार्टलाइजेशन रोधी अभियान के अंतर्गत आते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कार्टलाइजेशन के लिए कुछ सीमेंट कंपनियों तथा उनके व्यापार संघों पर शास्ति अधिरोपित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग): भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को कथित गैर-कानूनी कार्य (कार्टलाइजेशन) के मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार है। इसने सीमेंट कंपनियों और उनके व्यापार संगठन अर्थात् सीमेंट निर्माता संघ (सीएमए) पर सीमेंट उद्योग में गैर-कानूनी कार्य (कार्टलाइजेशन) करने के लिए मामला संख्या 29/2010 में पारित दिनांक 31 अगस्त, 2011 के आदेश द्वारा जुर्माना लगाया है तथा 11 सीमेंट निर्माताओं अर्थात् एसीसी, अंबुजा सीमेंट लि., बिनानी, सेंच्यूरी, इंडिया सीमेंट्स, जेके सीमेंट्स, लाफार्ज, रैमको, अल्ट्राटेक, जेपी एसोशिएट्स लि. और सीएमए पर 6317.32 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। मामला संख्या आरटीपीई 52/2006 में, आयोग ने श्री सीमेंट लि. पर 397.51 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

*****